

gk;yh mR lo l t k u i j v / k h u L F k m i k ; D r d k ; k ; y ; g e h j i j] f t y k g e h j i j % f g e k p y i n ' k %
d i f u f / k y [k k v k d k v d { k . k , o f u j h { k . k i f r o n u A

v o f / k 4 @ 2 0 1 0 I 3 @ 2 0 1 1

H k k x & , d

1 x r v d { k . k i f r o n u % &

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

% d % v d { k . k i f r o n u v o f / k 4 @ 9 9 I 3 @ 2 0 0 2 % &

1	पैरा 4(4)(क)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है।)
2	पैरा 4(4)(ख)	निर्णीत	(उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा 4(5)	निर्णीत	(उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
4	पैरा 4(6)(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(6)(ख) 1 व 2	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
6	पैरा 4(6)(ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(6)(घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(7)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
9	पैरा 4(8)(क)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
10	पैरा 4(8)(ख)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
11	पैरा 4(8)(ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(8)(घ)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4(9)(क)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4(9)(ख)	अनिर्णीत	

15	पैरा 4(10)(क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 4(11)	निर्णीत	(उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
17	पैरा 4(12)(क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4(12)(ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 4(12)(ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा 4(12)(घ)	अनिर्णीत	
21	पैरा 4(13)	निर्णीत	(उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
22	पैरा 4(14)	निर्णीत	(उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
23	पैरा 5(1)	निर्णीत	
24	पैरा 5(2)	निर्णीत	(समस्त अभिलेख कार्यालय में मौजूद हैं)
25	पैरा 5(3)	अनिर्णीत	
26	पैरा 5(4)	अनिर्णीत	
27	पैरा 5(5)	अनिर्णीत	
28	पैरा 5(6)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(2)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
32	पैरा 6(3)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)

1/ [k/ k vdf/ k ifronu vof/ k 4@2002 I 3@2005 %&

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(6)	अनिर्णीत

4	पैरा 5(7)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(8)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5(10)(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5(10)(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5(11)	निर्णीत	(दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
9	पैरा 5(12)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(5)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध है)
11	पैरा 6(7)	अनिर्णीत	
12	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	

1/3/2011 दिनांक 08.07.2011 के द्वारा भेज दी गई है

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 590729, दिनांक 08.07.2011 के द्वारा भेज दी गई है)
2	पैरा 4(क)(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	(वांछित अभिलेख दिखा दिया गया है)
4	पैरा 6(1)(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	

Hkkx&nk

2 or'eku vd{k.k %&

अवधि 4/2010 से 3/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.2011 से 20.07.2011 तक हमीरपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु मासों का चयन निम्न विवरणानुसार किया गया :—

o"k	vk;	0;;
2010—11	3/2011	3/2011

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 vd{k.k 'kYd %&

अवधि 4/2010 से 3/2011 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹1,800.00 (एक हजार आठ सौ रुपये) आंका गया। जिसे उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या: 591170 द्वारा दिनांक 04.08.11 के माध्यम से “निर्देशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला—171009” को प्रेषित कर दिया गया है।

4 foUkh; fLFkfr %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान होली उत्सव सुजानपुर की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(क)	दिनांक 01.04.2010 को अथषेष्ठ	469693.70
	वर्ष के दौरान प्राप्त राषि	3560599.00
	कुल राषि	4030292.70
	वर्ष में खर्च की गई राषि	2830317.00
	अन्तिम शेष	1199975-70
(ख)	31.03.2011 को बैंक में जमा राषि	844016.14
	हस्तगत राषि	404883.00
	पुरानी रोकड़ बही में जमा राषि जिसे नये	10366.85

खातों में हस्तांतरित नहीं किया है

₹1259265-99

उपरोक्त (क) व (ख) में ₹59290/-का अन्तर है जो इस निधि खाते में संचित राशि पर बैंक द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही में जमा न करने के कारण है।

(ग) दिनांक 31.03.2002 से ₹10,366.85 जो पुरानी रोकड़ बही में शेष पड़ी थी को दिनांक 31.03.2011 तक न तो नई रोकड़ बही में जमा किया गया है और न ही इस राशि को बैंक में जमा करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं। अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन करके इस राशि को प्राप्त कर के नई रोकड़ बही में हस्तांतरित करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 होली उत्सव खाते से ₹50000/-का भुगतान अग्रिम रूप में सचिव, नगर पंचायत सुजानपुर को मेले के दौरान सफाई सुविधा उपलब्ध करने हेतु बैंक संख्या: 011673, दिनांक 17.03.2011 के द्वारा किया गया जिसके समर्थन में भुगतान वाऊचर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित अंकेक्षण समाप्ति की दिनांक तक उपायुक्त कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे। अतः उपरोक्त दी गई अग्रिम राशि से सम्बन्धित समायोजन वाऊचर प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाए कि कितनी राशि होली उत्सव 2011 में खर्च की गई थी व कितनी राशि शेष बची है तथा अप्रयुक्त राशि को शीघ्र प्राप्त करके होली उत्सव खातों में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

6 व्यय लेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹3,238/-का भुगतान निम्न विवरणानुसार हिमाचल प्रदेश टुरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित होटल हमीर को खाना खिलाने के सन्दर्भ में किया गया। वर्ष 2011 में होली उत्सव दिनांक 16.03.2011 से 19.03.2011 तक सुजानपुर में आयोजित किया गया लेकिन उपरोक्त विषय से सम्बन्धित बिल उत्सव मनाने हेतु निर्धारित अवधि के मध्य के न हो कर अन्य तिथियों को भोजन करवाने के लिए इस निधि में समायोजित किए गए प्रतीत होते हैं। उपायुक्त कार्यालय द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह खर्च होली उत्सव के सन्दर्भ में वास्तव में किन व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए किया गया था, जिसके आभाव में इस खर्च को निधि पर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता। अतः इस खर्च की वैधता उचित कारणों एवं ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा इस खर्च की वसूली उचित स्रोत से करके होली उत्सव खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

fnukd	fcy l[;k	jkf'k
09.03.2011	022700	₹987/-
12.03.2011	022904	₹158/-
12.03.2011	020946	₹30/-

7 %d% होली उत्सव 2011 के दौरान अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु आमंत्रित संविदाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 16.03.2011 से 19.03.2011 तक विश्राम गृह सुजानपुर व सामान्य लंगर में खाना बनाने व परोसने हेतु प्रति व्यक्ति खाना खिलाने की दर से ठेका न करके एक मुफ्त राशि की न्यूनतम दर वाले संविदाकार को ठेका दिया गया जबकि प्रति व्यक्ति खाने की दर मीनु सहित आमंत्रित करके न्यूनतम दर वाले संविदाकार को कार्य आबंधित किया जाना अपेक्षित था क्योंकि उपरोक्त के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस संगीत दल के कितने व्यक्तियों व अन्य गणमान्य विभूतियों को खाना खिलाया गया। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा शामिल व्यय को नियमानुकूलन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

%[k% उपायुक्त कार्यालय में उपरोक्त उद्देश्य को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने हेतु गठित कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार होली उत्सव में खाना खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कूपन दिए जाने का प्रावधान किया गया था जिस का व्यावहारिक रूप में अमल नहीं किया गया। यदि प्रति व्यक्ति खाने की दर से ठेका दिया जाता और उत्सव में केवल अतिथि घोषित व्यक्तियों को कूपन दिए जाते तो निश्चित रूप से इस मद पर किए गए व्यय में कमी लाई जा सकती थी। अतः भविष्य में खाने की व्यवस्था हेतु ठेका संकलित राशि के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाएं तथा कूपन छपवा कर उत्सव में अतिथि घोषित गणमान्य व्यक्तियों को ही कूपन देकर खाना खाने के लिए अधिकृत किया जाए तथा जारी किए गए कूपनों का लेखा जोखा सही ढंग से करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

8 होली उत्सव 2011 के दौरान सुजानपुर में लगाए गए स्टाल व प्रदर्शनियों के तहबजारी शुल्क की वसूली हेतु छपवाई गई 10 रसीद बुकों से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपायुक्त कार्यालय द्वारा इन रसीदों के द्वारा प्राप्त राशियों के लेखांकन हेतु “Fee Collection Register” नहीं लगाया है जिस के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वर्ष 2011 में होली उत्सव के दौरान तहबजारी के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की गई। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि तहबजारी की वसूली के लिए छपवाई गई रसीद बुकों का संग्रह रजिस्टर तैयार करके उस में उपरोक्त प्रयोजन हेतु काटी गई प्रत्येक रसीद का विवरण दिया जाए तथा प्रयोग में न लाई गई रसीदों का विवरण भी संग्रह रजिस्टर में दिया जाए। इस रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

- 9 होली उत्सव 2011 के दौरान निम्नलिखित फर्मों से खरीदे गए सामान के भण्डार इन्द्राज नहीं किए गए हैं। अतः इन मदों को होली उत्सव खाते से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर के अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

Øe l[;k	Qe dk uke	[kjhn x, l keu dk fooj.k	nj	dy jkf'k
1	मै0 राज ट्रेडरड हमीरपुर	2 कप प्लेट सैट 24 गिलास	₹550/- ₹20/-	₹1100/- ₹480/- ₹1580@&
2	मै0 एम्पायर फैशन शोप, हमीरपुर	1 तोलिया 5 मीटर कपड़ा	₹180/- -	₹180/- ₹250/- ₹430@&

- 10 %d% होली उत्सव 2011 के दौरान विश्राम गृह सुजानपुर व सामानय लंगर में खाना बनाने एवं परोसने हेतु श्री परसोतम दास चौधरी वार्ड नम्बर 4 डोली, तहसील सुजानपुर को ₹104000/-का भुगतान किया गया लेकिन उपायुक्त कार्यालय द्वारा “Rule 3(1) works contract (composition scheme for payment of service tax) Rules 2007 में किए गए प्रावधान के अनुसार 4% सेवा कर जो सरकारी कोष में जमा करवाया जाना था की वसूली नहीं की गई है। अतः भुगतान करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करों की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सरकारी कोष को हुई हानि की भरपाई उचित स्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

%[k% निम्नलिखित फर्मों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के प्रतिफल में किए गए भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि सेवा कर अधिसूचना संख्या: 8/2009, एस0टी0 दिनांक 24.02.2009 में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा कर 10% के हिसाब से करों की कटौती उपायुक्त कार्यालय द्वारा नहीं की गई है और इन फर्मों के द्वारा दी गई सेवाओं के प्रतिफल में भुगतान फर्म के द्वारा दी गई सेवाओं के प्रतिफल में भुगतान फर्म के बिना पक्का बिल प्रस्तुत किए किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। इन फर्मों से पक्का बिल प्राप्त न कर के भुगतान करने पर सरकार को देय करों की चोरी की गई प्रतीत होती है। अतः निम्नलिखित प्रकरणों में सेवा कर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राषियों पर देय कर की भरपाई उचित स्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करवायी जाए तथा भविष्य में भुगतान करने से पूर्व प्राप्त सेवाओं का करों के दायरे में होने या न होने बारे स्पष्टीकरण सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके निर्धारित दरों पर करों की वसूली करना सुनिश्चित की जाए तथा पंजीकृत फर्मों/संगीत दलों से पक्का बिल प्राप्त करने पर ही भुगतान किया जाए।

Qe@lxhr ny dk uke

pd
l[;k@fnukd

Hkxrku dh xbi jkf'k

सुरताल ईवेन्ट्स दिल्ली	011682 / 19.03.2011	₹95000 / -
मैं0 सतनाम ग़ोवरज चम्बा (हि0प्र0)	—	₹425000 / -
राजेश कुमार प्रोप0 बाऊपलैक्स पोपुललिक इन्ट्रप्राइज़िज	—	₹95000 / -
राणा ओरकैस्टा हमीरपुर	—	₹23750 / -
पैन्थाराइजिंग ओरकैस्टा	—	₹23750 / -
मैं0 सतनाम ग़ोवरज चम्बा (हि0प्र0) (म्युजिक सिस्टम)	—	₹150000 / -
		₹90000 / -
		₹145000 / -

11 अंकेक्षण अवधि के दौरान होली उत्सव खाते पर बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज को रोकड़ बही में जमा नहीं किया गया है। जिस कारण रोकड़ बही को ब्याज की राशि से कम दर्शाया गया है। अतः बैंक द्वारा समय-समय पर लगाए गए ब्याज को रोकड़ बही में इन्द्राज करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण में अवगत करवाएं।

12 होली उत्सव खाते की रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित राशियों को हस्तगत रख कर इन का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है। अतः अनावश्यक रूप से इन राशियों को बैंक खातों से निकाल कर हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राशियों के अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने पर बैंक से मिलने वाले ब्याज की हुई हानि की भरपाई उचित स्रोत से करके होली उत्सव खाते में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

ekg	jkf'k
4 / 2010	₹258234 / -
5 / 2010	₹8234 / -
6 / 2010	₹10004 / -
7 / 2010	₹10004 / -
01.08.2010 से 12.03.2011	₹24604 / -
13.03.2011 से 31.03.2011	₹404883 / -

13 उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय षिमला द्वारा इस निधि के रख-रखाव बारे जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित की जाए।

14 y/k vkifUk fooj.kh %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 fu"d"kk %& लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं कड़ी निगरानी की आवश्यकता है

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)XIV-221/2002, Vol-I

दिनांक, षिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपायुक्त एवं अध्यक्ष, होली उत्सव सुजानपुर स्थित हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) 177001, को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला-171009. को अतिषीघ्र भेजें।
2. निदेशक, भाषा एवं सांस्कृति, हिमाचल प्रदेश षिमला-171009.

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

%vui dekj ?kk : %